अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त।

~~10/2020~~ 4/07/2020 उक्त भूमि से संबंधित संदिग्ध/अवैध जमाबंदीधारक/उनके वंशज द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों की जाँच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा करायी गयी। जाँचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि मौजा आसनबनी थाना नं० 73 खाता नं० 181, 34 प्लॉट नं० —— रकवा 3.152 एकड़ भूमि गतसर्वे के अनुसार गैरा आबाद खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं०– 1 के पृष्ठ सं० 54 पर काबुलाल माँझी का नाम कायम है तथा हालसर्वे खतियान के अनुसार खाता नं० 184 प्लॉट नं० 2109, 2185 रकवा 0.27 एकड़ भूमि श्री/श्रीमति कैलाश माँझी पिता/~~पति~~ काबुलाल माँझी के नाम पर खतियान बन गया है।

अभिलेख आदेशार्थ दिनांक 04/08/2020 को रखे।

4/08/2020 अभिलेख उपस्थापित। पूर्व में जमाबंदी को बिना किसी कागजात के एंव आधार के कायम रहने की स्थिति में संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख का संधारण किया गया था। जिस पर अंतिम निर्णय हेतू सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक– 06/89/2020/1704/रा० दिनांक– 15/7/2020 के द्वारा निदेश प्राप्त है। जिसका अनुपालन हेतू अपर समाहर्त्ता, धनबाद का पत्रांक 3999/रा० दिनांक 8/8/2020 के आलोक में तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँचोपरान्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त जमाबंदी रैयत के पक्ष में या उनके वंशज के पक्ष में हालसर्वे खतियान तैयार किये जाने संबंधी उजागर वास्तविकता के आधार पर मूल गैर आबाद खाता से संबंधित उपरोक्त भूमि को हालसर्वे खतियानधारी के पक्ष विनियमित करते हुए पर्चा निर्गत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख दिनांक– 13/08/2020 को उपस्थापित करें।

लेखापित संशोधित

04/8/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर